10

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर, कैम्प- सागर म.प्र.

1- रीतेश चन्देल पिता रमेश कुमार चंदेल
निवासी- नरयावली नाका वार्ड- सागर
2- नितिन कुमार पिता शरद कुमार सोनी
निवासी मोहन नगर वार्ड सागर तहसील व जिला- सागर म.प्र.

--- अपीलार्थीगण

।। विरूद्ध ।।

उपपंजीयक सागर जिला- सागर (म.प्र.)

— प्रतिअपीलार्थी

आ0 प्र0 क्र0- दिनांक-

अपील अन्तर्गत धारा 47(क)(5) व 56 भारतीय स्टाम्प एक्ट 1899

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला- सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक-।।। बी-105 (11-12) पक्षकार उपपंजीयक- मुख्यालय सागर विरूद्ध रीतेश कुमार वगैरह मे पारित विवादित आदेश दिनांक-11-06-2012 एवं अपील न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के अपील प्रकरण क्रमांक-376 बी-105 (2013-14) मे पारित विवादित आदेश दिनांक-18.8.2015 से दुखित होकर निम्न लिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर यह अपील सम्माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हैं:-

उक्त अपील आवेदन मे प्रकरण में आवश्यक वर्णन (तथ्य) नियम -9 के अनुसार निम्नानुसार हैं :-

(क)- अपीलार्थी का नाम :- 1- रीतेश चन्देल पिता रमेश कुमार चंदेल साकिन- नरयावली नाका वार्ड सागर
2- नितिन कुमार पिता शरद कुमार सोनी साकिन- मोहन नगर वार्ड-सागर

(ख)- लिखत के निष्पादक का नाम व पता:-
श्रीमति प्रतिभा मिश्रा पत्नि श्री-आर. के मिश्रा, गौर टॉवर के पास, परकोटा वार्ड- सागर (म.प्र.)

(ग)- लिखित के दावेदार का नाम व पता:- रीतेश चंदेल पिता रमेशकुम चंदेल, साकिन-नरयावली नाका वार्ड-सा

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 7047-II/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-1-16	प्रकरण में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए एवं नस्ती के अभिलेखों का परिशीलन किया गया जिनमें अपील मेमो, अपर आयुक्त का आक्षेपित आदेश दि 18.8.15 एवं कलेक्टर ऑफ स्टॉम्प्स का आक्षेपित आदेश दि. 11.6.12 शामिल हैं। आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिए उनकी सम्पत्ति का अधिक मूल्यांकन किया गया, तथा मौका निरीक्षण भी केवल उपपंजीयक द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर किया गया। उन्हें न्यायहित में कलेक्टर न्यायालय की आर्डरशीट की प्रति (जो उन्होंने कहा कि उनके पास उपलब्ध है, जिसके आधार पर वे सुनवाई का अवसर नहीं मिले होने के बिन्दु की पुष्टि कराना चाहते हैं) तथा संबंधित विक्रयपत्र की प्रति उपलब्ध कराने हेतु मैंने अवसर दिया, किन्तु उन्होंने इस आदेश की दिनांक तक उन्हें उपलब्ध नहीं कराया है, अतः पेशी दि. 22.12.15 को लिखे अनुसार प्रकरण ग्राह्यता पर आदेशार्थ सुरक्षित मानते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है। तर्कों एवं अभिलेखों के प्रकाश में, पूर्ण विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	शेष / उपर्युक्त कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हूँ कि अपर आयुक्त एवं कलेक्टर ऑफ स्टाम्प्स, दोनों ने स्पष्ट, बोलते हुए एवं सही आदेश पारित किये हैं, जिनमें यह भी लिखा है कि आवेदक के पक्ष को किस प्रकार अपना पक्ष समर्थन करने का मौका दिया गया एवं किन आधारों पर सम्पत्ती के मूल्य की संगणना की गई है।	
	इन सब तथ्यों के प्रकाश में दोनों आक्षेपित आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ, एवं रा. मं. के समक्ष प्रस्तुत यह अपील आवेदन ग्राह्यता के पर्याप्त आधार नहीं होने के कारण अग्राह्य करता हूँ।	
	आदेश पारित।	
	पक्षकार सूचित हों।	
	प्रकरण समाप्त।	
	दा. द. हो।	
	(हस्ताक्षर) 5.1.16	